भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 240

(जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई**,** 2026/30 आषाढ़ 1948 (शक) को दिया जाना है)

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर का उपयोग न किया जाना

240. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सीएजी के वर्ष 2024-25 के इस अवलोकन पर ध्यान दिया है कि वर्ष 2022-23 के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के रूप में संगृहीत ₹50,072 करोड़ की धनराशि को एबी-पीएमजेएवाई और समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं को सहायता प्रदान करने के हेतु बनाए गए निर्दिष्ट आरक्षित कोष में स्थानांतरित नहीं किया गया था;

(ख) उक्त निर्दिष्ट कोष को कार्यात्मक न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उपकर से प्राप्त धनराशि का उसके निर्धारित उद्देश्यों के लिए पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

क) 2022-23 के दौरान, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर संग्रह को नामित आरक्षित निधि (निधियों) में अंतरित करने में कोई कमी नहीं की गई थी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के तहत ₹61,814 करोड़ की राशि एकत्रित की गई थी, और ₹70,589 करोड़ की राशि विभिन्न नामित आरक्षित निधियों में अंतरित की गई, नामतः प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) (₹18,339 करोड़), प्रारंभिक शिक्षा निधि (पीएसके) (₹38,000 करोड़) तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) (₹14,250 करोड़)। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से एकत्रित की गई राशि से नामित आरक्षित निधि (निधियों) में अंतरित संयुक्त राशि ₹8,775 करोड़ अधिक थी।

ख) (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग) निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत व्यय को निर्धारित आरक्षित निधि (निधियों) से पूरा करने से पहले संसद से उचित विनियोजन की मांग करके उपकर प्राप्तियों के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।

******